न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 53/2023 बउनवानी मोहर सिंह गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील तलावडा

GCMS No-2023/112

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.9.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.6.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक क्रमांक/पीए/विविध/2022–23 /820 दिनांक 7.7.2022 के पत्र पर की गयी कार्यवाही /जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे।
2. श्रीमान निबंधक राजस्व मण्डल,राजस्थान अजमेंर के कार्यालय पत्रांक क्रमांक/राम/भू.अ./ई–3/प–6(29)2016/14560 दिनांक 12.4.2022 को जारी किये गये पत्र पर की गयी कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/एफ.13(1)(47)/सूकाअ/2023/2623 दिनांक 28.08.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2023 मे चाही गयी सूचना का संबंध संस्थापन अनुभाग से होने के कारण जरिये पत्रांक 2259 दिनांक 3.7.2023 से प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर संस्थापन अनुभाग के पत्रांक 3165 दिनांक 31.7.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा जिस दस्तावेज की सूचना चाही गयी उसकी विशिष्टिया अंकित नही की गयी है इसलिए सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अपील प्रस्तुत होने पर संस्थापन अनुभाग को पुनः लिखा जाने पर प्रभारी संस्थापन अनुभाग द्वारा रिपोर्ट अंकित की गयी कि वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड की पत्रावली नवगठित जिला गंगापुर सिटी से संबंधित होने के कारण जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को स्थानान्तरित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.6.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित होने के बावजूद भी प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जो खेदजनक है। अतः प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम के निर्देशानुसार प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। चूंकि अब वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड की पत्रावली जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को स्थानान्तरित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार की जावे। आज्ञा सुनाई गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:44:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner